प्रेषक

अपर सचिव
राजस्व परिषद, उ0प्र0
इलाहाबाद।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र सं0 6794-6863/स्टाम्प-327(जे)शासन 2002 दिनांक 18.6.02

विषयः दिनांक 30.5.02 को योजना भवन, लखनऊ में हुई बैठक से दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या क0नि0-5-3296/11-2002 दिनांक12.6.2002 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि दिनांक 30.5.02 को योजना भवन, लखनऊ में प्रदेश के समस्त अपर जिलाधिकारीगण की बैठक में द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची जो दिनांक 01.04.2002 से लागू की गई है, की समीक्षा में संलग्न सूची में उठाई गयी कमियों को बिन्दुवार अंकित कर दिया गया है।

अतः आप से अनुरोध है कि आप अपने जनपद से सम्बन्धित रेट लिस्ट में उठाई गई कमियों को दूर करते हुए मूल्यांकन सूची में आवश्यक संशोधन कराकर संशोधित मूल्यांकन सूची की एक प्रति परिषद को भिजवाने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः दिनांक 30.5.2002 को प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा आहूत बैठक में उठायी गयी कमियों की सूची।

भवदीय
(ओ0पी0श्रीवास्तव)
अपर आयुक्त स्टाम्प
कृते अपर सचिव

पृष्ठांकित परिपत्र सं0 6864-7005 तद्दिनांक 18-06-2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. समस्त अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) उ0प्र0।
3. समस्त उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प उ0प्र0।
4. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबन्धन शिविर, गोमती नगर लखनऊ।

संलग्नकः यथोपरि।

(ओ0पी0श्रीवास्तव)
अपर आयुक्त स्टाम्प
कृते अपर सचिव

दिनांक 30.5.2002 को प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा आहूतअपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) की बैठक में मूल्यांकन सूची पर हुए विचार विमर्श के मध्य चर्चा में आयी कमियों का विवरणः-

1. खन्डों और उप खन्डों हेतु निर्धारित विभिन्न भू-खन्डों की दरें प्रचलित बाजार मूल्य के अनुरूप रखी जाय।
2. बनाये गये खन्डों/उपखन्डों के अन्तगत आने वाले मुहल्लों/स्थानों और गांवों का अधिकाधिक चिन्हीकरण एवं सीमांकन चैहद्दी आदि के साथ स्पष्ट किया जाय।
3. विभिन्न भागों का चिन्हीकरण करते हुए उन पर पड़ने वाले क्षेत्रों/खसरा नम्बरों का उल्लेख करते हुए दरें निर्धारित की जाय।
4. सम्पूर्ण क्षेत्रों को नगरीय, अर्धनगरीय, विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाले स्थानों की सूची स्पष्ट की जाय।
5. वृक्षों के मूल्य की दरें निर्धारित न की जाय।
6. एक निश्चित क्षेत्रफल की भूमि को अनिवार्य रूप से आवासीय अथवा औद्योगिक मानते हुए प्रति वर्गमीटर मूल्य न निर्धारित किया जाय।
7. कृषि दरों का निर्धारण प्रति एकड़ में किया जाय न कि प्रति वर्गमीटर में।
8. आवासीय,वाणिज्यिक और औद्योगिक भूखन्डों की दरें पृथक पृथक निर्धारित की जाय।
9. भवनों के निर्माण मूल्य के साथ ह्रास मूल्य तथा स्क्रैप मूल्य का भी प्राविधान किया जाय।
10. भवनों का निर्माण मूल्य भवनों की श्रेणी तथा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर भिन्न-भिन्न दरें रखी जाय।
11. ईट भट्ठों के लिये मिट्टी के विक्रय हेतु लोक निर्माण विभाग में विभाग की दरें स्पष्ट रूप से अंकित हुए सुनिश्चित की जाय।
12. वाणिज्यिक भवनों हेतु मासिक किराया प्रति वर्गमीटर रखना सुनिश्चित किया जाय।
13. सम्बन्धित जनपद में औद्वोगिक क्षेत्र है तो उस क्षेत्र हेतु औद्योगिक दरें निर्धारित की जाय।
14. सड़क/मार्गो के मध्य बिन्दु से सड़क की दूरी स्पष्ट की जाय।
15. कुछ जनपदों की सूची में यह उल्लेख किया गया है कि एक वर्ष के पश्चात 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वमेव मानी जायेगी। यह शर्त नियमों के विरूद्ध है जिसे कदापि न रखा जाय।